न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 1148–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–2–2006 –पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 99/2005–06 अपील

कल्याण सिंह पुत्र जगतसिंह यादव
कस्वा मौ परगना गोहद जिला भिंड ---अपीलांट

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---रिस्पाण्डेंट

(अपीलांट के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(रिस्पा0 के पैनल लायर श्री डी.के.शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 18– 1 – 2016 को पारित)

यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–2–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की आराजी क्रमांक 785/1 रकबा .145 , सर्वे क्रमांक 798/3794 रकबा .267 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.412 हैक्टर का शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 747 मि. रकबा 0.418 हैक्टर से विनिमय किये

जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया । कलेक्टर भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 5/2005-06 अ 59 पंजीबद्ध किया तथा वाद जांच आदेश दिनांक 24.10.05 से अपीलांट का आवेदन अमान्य किया एंव शासकीय भूमि पर से अपीलांट का अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 99/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-2-2006 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील की गई है।

3/ अपील में दर्शाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि के पास से नाला निकला है जहां पर ग्रामीणों के मवेशी पानी पीने आते हैं एंव अपीलांट की खड़ी फसल में प्रवेश कर नुकसान कर देते हैं । कलेक्टर भिण्ड ने अपीलांट के आवेदन की जांच तहसीलदार एंव एस0डी0ओ0 से कराई है जिन्होंने जांच प्रतिवेदनों में भूमि विनिमय की अनुशॅसा की है नगर पंचायत ने भी भूमि विनिमय किये जाने में आपत्ति न होना बताया है इसके वाद भी कलेक्टर भिण्ड ने आदेश दिनांक 24.10.05 पारित करते समय मौके की वास्तविक स्थिति न समझते हुये अपीलांट का विनिमय आवेदन निरस्त करने में भूल की है एंव अपर आयुक्त ने भी वास्तविता पर ध्यान नहीं दिया है इसलिये अपील स्वीकार की जावे। रिस्पा0 के अभिभाषक ने विनिमय अलाभकारी होना बताते हुये तथा शासकीय भूमि नगर पंचायत क्षेत्र की होना बताते हुये अपील निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन दिनांक 25-3-2005 में इस प्रकार अंकन किया है - " सर्वे नं. 747 मि. रकबा 0.418 सड़क किनारे स्थित है किन्तु मौ कस्वे से 2 कि.मी.दूर है किन्तु लोकेशन के हिसाव से भूमिस्वामी स्वत्व के सर्वे नंबर 785/1 एंव 798 से अधिक कीमती है। " - राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 20 में उल्लेखित है कि भूमि विनिमय करते समय यह देखा जाना चाहिये कि किसी भी पक्ष को विनिमय अलाभकारी न हो। विनिमय में ली जाने वाली भूमि सर्वे नंबर 747 नगर पंचायत मौ क्षेत्र से मात्र 2 कि.मी. दूर है, जबकि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 23(2) के अनुसार नगरीय क्षेत्र से 5 कि.मी. क्षेत्रान्तर्गत की शासकीय भूमि शासन की योजनाओं के विस्तार के लिये आरक्षित रखते हुये कलेक्टर व्दारा मात्र एक वर्ष के लिये कृषि हेतु पटटे पर दी जा सकती है । कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्र.क्र. 5/2005-06 अ 59 में पारित आदेश दिनांक 24.10.05 एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्र.क्र. 99/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-2-2006 में इन्हीं कारणों से हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 99/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-2-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर